

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञाप सं०-6/खा०म० भागलपुर-03/13-

(6)/रा०, पटना-15, दिनांक-

सेवा में,

अनौपचारिक  
रूप से  
परामर्शित

महालेखाकार, बिहार (लेखा एवं हकदारी),  
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

द्वारा :- वित्त विभाग।

विषय :- मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-16.09.2014 के मद संख्या-30 में दी गई स्वीकृति के आलोक में भागलपुर जिलान्तर्गत पीरपैती अंचल के मौजा-हरिणकोल, थाना सं०-81, खाता सं०-684, खेसरा सं०-क्रमशः-1650, 1743, 1848, 504/2034, 513, 524, 601, 789, 1065, 625/2008, 1267, 849/2019, रकबा-क्रमशः-0.73 एकड़, 2.245 एकड़, 0.48 एकड़, 0.90 एकड़, 0.73 एकड़, 1.21 एकड़, 0.90 एकड़, 0.41 एकड़, 0.09 एकड़, 10.50 एकड़, 0.45 एकड़, 0.56 एकड़, कुल रकबा-19.205 एकड़ किस्म क्रमशः भीठ II, पहाड़ी, परती, पुरानी परती, पुरानी परती भीठ II, नाला, पुरानी परती, नाला, पुरानी परती, नाला, नाला, पुरानी परती अनावाद बिहार सरकार भूमि 4,60,92,000 (चार करोड़ साठ लाख बानवे हजार) रूपया सलामी एवं सलामी के 5% के 25 गुणा अर्थात् 5,76,15,000 (पाँच करोड़ छिहत्तर लाख पन्द्रह हजार) रूपया पूँजीकृत मूल्य सहित कुल 10,37,07,000 (दस करोड़ सैतीस लाख सात हजार) रूपये के भुगतान पर पीरपैती थर्मल पावर की स्थापना हेतु आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आई०डी०ए०) को इस शर्त के साथ हस्तान्तरण कि यह भूमि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड को तभी उपलब्ध करायी जायेगी जब निजी निवेशकर्ता के चयन के उपरान्त उनसे यह राशि वसूल कर उनके द्वारा आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आई०डी०ए०) को उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

2. भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि यह भूमि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड को तभी उपलब्ध करायी जाएगी जब निजी निवेशकर्ता के चयन के उपरान्त उनसे यह राशि वसूल कर उनके द्वारा आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आई० डी० ए०) को उपलब्ध करायी जाएगी।

3. स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि जिस प्रयोजन हेतु भूमि दी जा रही है, उसमें उसकी उपयोगिता नहीं रहने पर भूमि स्वतः राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को लौट जाएगी।

4. अन्य शर्तें खास महाल मैनुअल के प्रावधानों एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के तहत मान्य होंगे।

5. इस बन्दोबस्ती से प्राप्त राशि बजट शीर्ष-0029 भू-राजस्व-101-भू राजस्व कर-0001-भूमि राजस्व-75-10 कर मद में जमा होगी जिसका विपत्र कोड-आर०-0029001010001 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(उमेश सिंह),

सरकार के उप सचिव।

कृ० पृ० ३०

निबंधित  
डाक से

ज्ञापांक-6/खा0म0 भागलपुर-03/13

(6)/रा0, पटना-15, दिनांक-.....

प्रतिलिपि-समाहर्ता, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। मूल अभिलेख संख्या-02/2012-13 संलग्न कर लौटाया जा रहा है।

ह0/-

(उमेश सिंह),

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-6/खा0म0 भागलपुर-03/13

(6)/रा0, पटना-15, दिनांक-.....

प्रतिलिपि-आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर को उनके कार्यालय पत्रांक-24-02/2012-13/रा0 दिनांक-10.01.2013 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(उमेश सिंह),

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-6/खा0म0 भागलपुर-03/13

(6)/रा0, पटना-15, दिनांक-.....

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(उमेश सिंह),

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-6/खा0म0 भागलपुर-03/13

(6)/रा0, पटना-15, दिनांक-.....

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(उमेश सिंह),

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-6/खा0म0 भागलपुर-03/13

(6)/रा0, पटना-15, दिनांक-.....

प्रतिलिपि-वित्त विभाग, प्रशाखा-8, बिहार, पटना/राजस्व विभागीय प्रशाखा-6/गार्ड फाईल, प्रशाखा-6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(उमेश सिंह),

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-6/खा0म0 भागलपुर-03/13

(6)/रा0, पटना-15, दिनांक-.....

प्रतिलिपि-आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को वेब-साइट पर इसे प्रकाशनार्थ प्रेषित।

3  
20/10/17

(उमेश सिंह),

सरकार के उप सचिव।

16.10